UPMO010071532026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार-**IV), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06124**

<u>ज़मानत प्रार्थना पत्र सं0–2198/2026</u>

मौ0 आसिम उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र बब्बू,
निवास झंडे वाली मिलक वीरपुर, थाना मूंढापांडे, जिला मुरादाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मु0अ0सं0–481/2025
धारा–3/5/8 सी0एस0 एक्ट
एवं धारा–11 पशुओं के प्रति क्रूरता का
निवारण अधिनियम तथा 61(2),231,248बी
बी.एन.एस.।
थाना–मूंढापांडे, जिला–मुरादाबाद।

1. आवेदक/अभियुक्त मौ0 आसिम की ओर से इन आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मुकदमे में उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जैसी कि वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। उस पर लगाये गये समस्त आरोप मनगढंत व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वह उक्त मुकदमे में नामजद अभियुक्त नहीं है और न ही घटनास्थल से गिरफ्तार हुआ है। उक्त घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं दर्शाया गया है। सत्यता यह है कि उसे दिनांक 04.11.2025 को ककरघटा के पास के हाईवे के नीचे से पकड़ना दर्शाया गया है तत्पश्चात् उसे मु0अ0सं0 209/2026 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट में नामजद कर चालान कर दिया और पुलिस के समक्ष दिये गये इकबालिया बयान के आधार पर उपरोक्त अज्ञात मुकदमे में उसे नामजद कर दिया। उससे कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है, बल्कि पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी औजार, छुरी, कुल्हाड़ी इत्यादि दर्शायी गयी है। उसके पास से कोई भी गौवंशीय पशु अथवा उसके अवशेष बरामद नहीं हुए हैं तथा वह दिनांक 04.07.2026 से जिला कारागार मुरादाबाद में निरूद्ध है। दौरान गिरफ्तारी पुलिस द्वारा बरामद दर्शाये गये सामान की कोई भी वीडियोग्राफी नहीं करायी गयी है,

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.07.24 16:48:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जिससे स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा नियम 105 धारा 18 बीएनएस का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई वीडियो फुटेज 48 घण्टे के अन्दर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है। पुलिस ने उसे बात करने को कहकर घर से ले जाकर उक्त मामले में नामजद करते हुए उसका चालान कर दिया। पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 209 में नामजद करते हुए अज्ञात में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 481/2025 व 45/2026 में भी नामजद कर दिया। मु0अ0सं0 209/2026 पंजीकृत होने से पूर्व उस पर कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं था और न इससे पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास था। उक्त मुकदमे में प्रकाश में आये अभियुक्त इबरान उर्फ इमरान की जमानत स्वीकृत की जा चुकी है और उसका रोल भी सह–अभियुक्त के समान ही दर्शाया गया है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त आधारों पर उसे जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त की पत्नी/पैरोकार श्रीमती अकलीमा द्वारा शपथ पत्र में कथन किया गया है कि, अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा उपनिरीक्षक लाल सिंह द्वारा संबंधित थाना–मूंढापांडे पर प्रस्तुत फर्द बरामदगी के आधार पर इस आशय की रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 04.11.2025 को हेमराज द्वारा दूरभाष पर मिली सूचना पर वह प्रभारी निरीक्षक के आदेश पर कां0 राजकुमार को साथ लेकर ग्राम दौलारी के जंगल स्थित मुसाहिद के खेत में समय करीब 16:35 बजे पहुंचे तो तलाश करने पर मुसाहिद के खेत में एक ही गोवंशीय पशु की एक टुकड़े की खाल व ओज (गोबर) तथा पास के ही याकूब मुल्ला के पापलर की पौध के खेत में एक गोवंशीय पशु का सिर व खाल का टुकड़ा खेत में इधर–उधर पड़े दिखायी दिये, जो योजनाबद्ध तरीके से उक्त खेतों में डालना प्रतीत हो रहा था। मौके पर बुलाये गये पशु चिकित्सक द्वारा खाल व सिर को गोवंशीय पशु का होना बताया गया। उक्त घटना किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गोकशी कारित की गयी है। वादी की प्रश्नगत फर्द बरामदगी के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध यह मुकदमा अंतर्गत धारा–3/5/8 सी0एस0 एक्ट एवं धारा–11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम में पंजीकृत किया गया। उक्त वाद में आवेदक/अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया तथा दौरान विवेचना धारा 61(2), 231, 248बी भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की

गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. मैंने विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विनम्रतापूर्वक सुना एवं पत्रावली का तत्समय सम्यक अवलोकन किया।

6. अभियोजन के अनुसार दिनांक 04.11.2025 को हेमराज द्वारा दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर वादी मुकदमा ग्राम दौलारी के जंगल स्थित मुसाहिद के खेत में समय करीब 16:35 बजे पहुंचे तो तलाश करने पर मुसाहिद के खेत में गोवंशीय पशु की एक टुकड़े की खाल व ओज (गोबर) तथा पास के ही याकूब मुल्ला के पॉपलर की पौध के खेत में एक गोवंशीय पशु का सिर व खाल का टुकड़ा खेत में इधर–उधर पड़े मिले जिनके सम्बन्ध में मौके पर बुलाये गये पशु चिकित्सक द्वारा खाल व सिर को गोवंशीय पशु का होना बताया गया। बचाव पक्ष के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है तथा पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को मु0अ0सं0–209/2026, धारा–3/25 आयुध अधिनियम में झूठा नामजद करते हुए पुलिस के समक्ष दिये गये इकबालिया बयान के आधार पर उसे उपरोक्त मुकदमें में भी झूठा संलिप्त कर दिया गया है। उसके द्वारा कोई गोकशी नहीं की गयी। उसके पास से कोई भी वस्तु संबंधित मुकदमा बरामद नहीं हुयी है, जो भी बरामदगी पुलिस द्वारा दिखायी गयी है, वह फर्जी है। बरामदगी के समय जनता का कोई साक्षी होना नहीं बताया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 04.07.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अतः मामले के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये, आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त मो0 आसिम का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन रू0 1,00,000/– का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के दो ज़मानती, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, निम्न शर्तों के अधीन ज़मानत पर रिहा किया जाए :–

1. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं

करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

दिनांक– 24–07–2026

(अनिल कुमार–IV)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6124)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।